विस्तृत विज्ञापन

# राजस्थान सरकार
# स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) व (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा चयन आयोग
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी–स्कीम जयपुर 302013

क्रमांक प.10 (छ) (6)/ भ.आ./ATP/Sr.Dr./ DLB/2021/ 2005 दिनांक : 10-08-2021

**विज्ञप्ति संख्या – 01/2021**
**सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा**

राजस्थान नगरपालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा नियम, 1963 एवं राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम 1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य की नगर निकायों में सहायक नगर नियोजक एवं वरिष्ठ प्रारूपकार के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा 2021 के लिये इच्छुक, निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑन लाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते है।

पदवार/वर्गवार आरक्षण संबंधी विवरण निम्नानुसार हैः–

भर्ती हेतु पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण(Non TSP Posts)

| क्रम सं. | पद नाम | रिक्त पदों की संख्या | सामान्य | | | | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | | | | अनुसूचित जाति | | | | अनुसूचित जनजाति | | | | अन्य पिछड़ा वर्ग | | | | अति पिछड़ा वर्ग | | | | क्षैतिज आरक्षण | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | महिला | | | | महिला | | | | महिला | | | | महिला | | | | महिला | | | | महिला | | | निःशक्तजन | | | भूतपूर्व सैनिक | उत्कृष्ट खिलाडी |
| | | | पुरुष | सामान्य | विधवा | विच्छिन्न विवाह | पुरुष | सामान्य | विधवा | विच्छिन्न विवाह | पुरुष | सामान्य | विधवा | विच्छिन्न विवाह | पुरुष | सामान्य | विधवा | विच्छिन्न विवाह | पुरुष | सामान्य | विधवा | विच्छिन्न विवाह | पुरुष | सामान्य | विधवा | विच्छिन्न विवाह | BL / LV | HI | LD/CP | | |
| 1 | सहायक नगर नियोजक (Assitant Town Planner) | 49 | 15 | 5 | 1 | – | 3 | 1 | – | – | 5 | 2 | – | – | 4 | 1 | – | – | 7 | 3 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – |
| 2 | वरिष्ठ प्रारूपकार (Senior Draftsman) | 79 | 23 | 7 | 2 | – | 5 | 2 | – | – | 9 | 3 | – | – | 7 | 2 | – | – | 12 | 3 | 1 | – | 3 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |

नोटः–

1. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त आयोग द्वारा विज्ञापित पदो की संख्या में कमी या बढोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।
2. विभाग के Notification No.- F.8(G)(62)Rules/DLB/20/51936 Dated 23.03.2021 में किये गये प्रावधानानुसार सहायक नगर नियोजक पद हेतु भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण एवं विभाग के Notification No.- F.8(G) ()Rules/DLB/15/38149 Dated 31.12.2019 में किये गये प्रावधानानुसार वरिष्ठ प्रारूपकार पद हेतु भूतपूर्व सैनिकों को 12½ प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

विशेष नोट :–

1. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिये अनुसूचित जातियों या यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्‌वर्ती तीन भर्ती वर्षो के लिये अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्ष की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तिया सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिये संगणित नहीं किया जाएगा परन्तु यह और है कि इस उप नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदो के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में से भरा जा सकेगा जिसके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्‌वर्ती वर्षो में उपलब्ध हो।

2. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
3. किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न (परित्यक्ता) विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर–परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता) अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।
4. विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) / भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाडी के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
5. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेंगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यगत हो जायेगी।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA No.1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा DBSAW No.1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी / एसटी / ओबीसी / एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हे सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

## (01) शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभवः

**(1) नियमों में रहे प्रावधानानुसार सहायक नगर नियोजक के पद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव निम्नानुसार हैः–**

**Bachelor's Degree in Engineering Civil / Architecture / Planning with Post Graduate Degree in Urban / City / Regional Planning / Traffic & Transportation Planning.**

**OR**

**M.Tech in Planning or M. Plan. Urban / Regional / Traffic & Transport / Environment or equivalent.**

**OR**

**Bachelor's Degree in Planning / Architecture from a recognized Institute / University established by law in India with two year's experience in the field of Town Planning.**

**(2) नियमों में रहे प्रावधानानुसार वरिष्ठ प्रारूपकार के पद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव निम्नानुसार हैः–**

**Post Graduate Degree in Geography/Economics/Sociology of a university established by law in India or qualification recognized as equivalent there to by the Government.**

**with**

**Post Graduate Diploma in Remote Sensing & Geo-informatics (1 Years. Course) from a university established by law in India or qualification recognized as equivalent there to by the Government.**

**OR**

**Diploma in Architecture/Architectural Assistantship (3 Yrs course) or equivalent qualification from recognized Institution.**

**OR**

**Polytechnic Diploma in Civil Draftsmanship with two yrs. experience in Town Planning/Architect's office.**

आवश्यक नोटः–
आवेदन की अन्तिम दिनांक तक पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित करने वाले एवं पद हेतु निर्धारित अनुभव अर्जित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होगे।
देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है।

## (02) रनिंग पे–मैट्रिक्स लेवल :–

| क्रम संख्या | पद नाम | रनिंग पे–मैट्रिक्स लेवल |
|---|---|---|
| 1. | सहायक नगर नियोजक (**Assitant Town Planner**) | **L-14** |
| 2. | वरिष्ठ प्रारूपकार (**Senior Draftsman**) | **L-10** |

## (03)आयु सीमाः– दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम।

नोटः–
पूर्व में वरिष्ठ प्रारूपकार पद पर सीधी भर्ती हेतु आयोग द्वारा वर्ष 2015–16 में विज्ञापन जारी किया गया था, तत्पश्चात् इस पद का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2022 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें संबंधित सेवा नियमों में विहित प्रावधानानुसार उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी। आयोग द्वारा सहायक नगर नियोजक पद पर सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा प्रथम बार आयोजित की जा रही है इसलिये इस पद हेतु उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होगा।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State | 5 वर्ष Five Years |
| 2. | सामान्य वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category | 5 वर्ष Five Years |
| 3 | राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections (E.W.S.) of Rajasthan State | 10 वर्ष Ten Years |
| 4. | विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला<br>Widow and divorcee Women<br>**Explanation:** - In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce. | अधिकतम आयु सीमा नहीं<br>No Upper age limit |
| 5. | उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for appointment under the rules. | |
| 6. | ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा जो दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।<br>The upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the term of imprisonment served in the case of exprisoner who was not overage before his conviction and was eligible for appointment under the rules | |

| | |
|---|---|
| 7. | इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। <br> The persons appointed temporarily to a post in the service shall be deemed to be within the age limit, had they been within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before the Commission and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment |
| 8. | कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा। <br> The upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit |
| 9. | निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। <br> The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after released from the Army shall be deemed to be within the age-limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army |
| 10. | 1971 के भारत–पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी। <br> there shall be no age limit in the case of persons repatriated from Pakistan during the 1971 Indo-Pak War. |
| 11. | राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगम के कार्यकलापों के संबंध मैं Substantive हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। <br> The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertaking/Corporation in Substantive capacity shall be 40 years |
| 12. | राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद पर अनुभव भी अनिवार्य है वहां भूतपूर्व सैनिकों को इन नियमों के अधीन पहले से ही उपबंधित आयु में दिये गये शिथिलीकरण के अतिरिक्त निम्नतर पद पर के अपेक्षित अनुभव की कालावधि के बराबर आयु में शिथिलीकरण दिया जायेगा। परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो उपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम उपरी आयु सीमा लागू होगी। <br> According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be ten years to Ex-servicemen. Provided that in case of direct recruitment where experience is also essential on lower post then relaxation in age equal to the period of requisite experience of the lower post shall be given to the ex-servicemen in addition to the relaxation in age already provided under these rules. Provided that permissible age after relaxation under this rule work out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment where experience of lower post is essential the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable.. |

| | |
|---|---|
| | स्पष्टीकरण :– कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा। |

नोट –

(1) उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा, एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर आयुसीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.09.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयुसीमा, अंक, आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।

(3) राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(4) अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये है। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

## (4) दिव्यांगजन (निःशक्तजन) के लिये :–

a) राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अन्तर्गत निम्न लिखित श्रेणी के विशेष योग्यजन को ही आरक्षण लाभ देय है:–

I. B/LV (Blindness/Low vision)

II. HI/ (Hearing Impairment)

III. LD/CP (Locomotor Disability) Including Cerebral paisy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims & Muscular dystrophy

IV. Autism, Intellectual Disabillity, Specific Learning Disability & Mental illness

V. Multiple Disabilities form amongst persons under clauses (i) to (iv) Including deaf-blindness in the posts indentified for each disabilities.

b) विशेष योग्यजन के लिये दर्शाये गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

c) उपरोक्त दर्शाये गये विशेष योग्यजन के आरक्षित पदो के लिय पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जाएगा। जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।

d) विशेष योग्यजन आवेदक Online application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं विशेषयोग्यजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करे।

e) ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते है, अपनी विशेष योग्यजन होने के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई विशेष योग्यजन प्रमाण–पत्र (Permanent Disability Certificate) में विशेष योग्यजन का स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (विशेष योग्यजन) का प्रमाण–पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही आवेदक को विशेष योग्यजन हेतु आरक्षित पदो के लिये पात्र माना जाएगा।

## (5) भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान–

कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ.5(18)कार्मिक/क–2/84 पार्ट 4 दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर के भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर–भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के **दो माह की किसी कालावधि** के भीतर–भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रास्थिति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख–वार ब्यौरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तक/संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा।

## (6) उत्कृष्ट खिलाडी के पदों हेतु :–

उत्कृष्ट खिलाडियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F5(31)DOP/A-11/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत देय होगा। उत्कृष्ट खिलाडी हेतु आरक्षित पदा का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F5(31)DOP/A-11/84 दिनांक 21.11.2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों का उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

उत्कृष्ट खिलाडी संबंधी प्रावधानः–

कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5 (31) डीओपी/ए–11/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार **'उत्कृष्ट खिलाडी'** से ऐसे खिलाडी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है और जिन्होनेः–

1. निम्न सारणी के स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्या 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया होः

| क्र.सं.<br>1 | अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था<br>2 | टूर्नामेंट/चैपियनशिप का नाम<br>3 |
|---|---|---|
| 1 | अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.) | ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन) |
| 2 | एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.) | एशियन गेम्स |
| 3 | दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.) | दक्षिण एशियन गेम्स, जो सामान्य सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते है। |
| 4 | राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ) | राष्ट्रमण्डल गेम्स |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक परिषद से संबंद्व अन्तर्राष्ट्रीय, खेल परिसंघ | विश्व कप / विश्व चैंपियनशिप |
| 6 | एशिया ओलम्पिक परिषद से संबंद्व अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ | एशियन चैंपियनशिप |
| 7 | अन्तराष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.) | अन्तराष्ट्रीय स्कूल गेम्स / चैंपियनशिप |
| 8 | एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ.) | एशियन स्कूल गेम्स / चैंपियनशिप |

या

2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूल के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया होः

या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्व नेशनल स्पोट्‌र्स फेडरेशन (एन.एस.एफ) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैपियनशिप में व्यक्तिशः या या टीम स्पर्धा में मेडल जीता होः
4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता होः

या

5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबंद्व नेशनल स्पोट्‌र्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप/पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स/ नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया होः

नोट–कृपया उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी वे ही अभ्यर्थी आवेदन करे जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण–पत्र हों। यदि किसी आवेदक ने जान–बूछकर बिना योग्य खेल प्रमाण–पत्र उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी अंकित की है तो बोर्ड द्वारा ऐसे आवेदक के विरूद्व कार्यवाही की जा सकती है।

## (7) राष्ट्रीयता :–

1. (क) भारत का नागरिक हो, या
(ख)नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग)भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ)तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 01.01.1962 से पहले स्थाई रूप से बसने के विचार से भारत आया हो या
(ड)भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व का टंगानिया, जंजीबार, जाम्बिया, मालाबाई जैर तथा इथोपिया से भारत आया है।
नोट – वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ड) से संबंधित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्यायिक विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. अन्य देशों से भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्ते – इन नियमों में किसी बाबत् के होते हुए भी सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु सीमा, फीस तथा अन्य रियायती संबंधी उपबन्ध, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो. ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होगे जो सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाये और ऐसे आदेशों या अनुदेशों को भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किया जायेगा।

## (8) आवेदन प्रक्रिया :–

1. उक्त पदों हेतु On line Application Form भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी रिक्रूटमेंट पोर्टल http://lsg.onlinerecruit.in/ पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के संबंध में दिये गये विस्तृत विज्ञापन एवं अन्य विवरण का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवे। तद्उपरान्त ही अभ्यर्थी अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के पश्चात ऑन–लाईन आवेदन करे।
2. रिक्रूटमेंट पोर्टल http://lsg.onlinerecruit.in/ पर One Time Registration (OTR) करने पर ही अभ्यर्थी परीक्षा हेतु ऑन–लाईन आवेदन कर सकता है।

3. अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु ऑन–लाईन आवेदन भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल http://lsg.onlinerecruit.in/ पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन–पत्र क्रमांक (Application Number) जनरेट करना होगा।
4. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल, अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करे।
5. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफन्ड नहीं किया जाएगा।
6. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके।
7. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन–पत्र क्रमांक (Application No.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।
8. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk E-mail पर सम्पर्क करें।
9. आवेदक जिस श्रेणी के तहत् आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें।
10. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर (Creamy Layer) श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक, सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
11. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेवें।
12. उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के अतिरिक्त अभ्यर्थी से किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन/हाथ से भरा हुआ आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
13. निरस्त किये गये आवेदन पत्र के अभ्यर्थी को किसी शुल्क की वापसी नहीं की जायेगी। यदि आवेदन पत्र ऑनलाइन स्वीकृत होता है परन्तु किन्हीं कारणों से (जिनमें सॉफ्टवेयर में त्रुटि शामिल है) से बाद में आवेदन निरस्त होने योग्य पाया जाता है तो उसे निरस्त कर दिया जायेगा। अतः आवश्यक है कि आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी अर्हता के संबंध में सुनिश्चित हो लें।

## (9) परीक्षा शुल्कः–

(क) सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु :– रुपये 1400/–

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आवेदकों हेतु :– रुपये 1200/–

(ग) समस्त निःशक्तजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, के आवेदकों हेतु – रुपये 800/–

नोट :–

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियो को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
2. राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही आवेदन शुल्क देय होगा। उक्त परिपत्र के अनुसार राजस्थान राज्य के जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का विकल्प चुना गया है, उन अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी को उसके वर्ग के अनुसार अन्तर राशि का शुल्क जमा करवाना होगा। उक्त लाभ राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के आवेदकों को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।
3. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन–पत्र रिक्रूटमेंट पोर्टल http://lsg.onlinerecruit.in/ पर दिये गये निर्देशों के अनुसार Submit करे।
4. परीक्षा शुल्क रिक्रूटमेंट पोर्टल http://lsg.onlinerecruit.in/ पर दिये गये निर्देशों के अनुसार भुगतान करे।
5. राजस्थान राज्य से अन्य भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग /अति पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का आवेदक माना जावेगा। अतः ऐसे आवेदको को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।

## (10) परीक्षा शुल्क जमा करने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि–

(क) परीक्षा शुल्क रिक्रूटमेंट पोर्टल http://lsg.onlinerecruit.in/ पर दिये गये निर्देशों के अनुसार दिनांक 11.08.2021 से 25.08.2021 को रात्रि 11:59 बजे तक जमा कराया जा सकता है।

(ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र रिक्रूटमेंट पोर्टल http://lsg.onlinerecruit.in/ पर दिये गये निर्देशों के अनुसार दिनांक 11.08.2021 से 25.08.2021 को रात्रि 11:59 बजे तक भरें जा सकते है (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाऐगा) । आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।

## (11) प्रवेश–पत्र

आयोग द्वारा समस्त आवेदकों को वेब–साइट के माध्यम से ही ऑनलाईन प्रवेश–पत्र जारी किए जाएंगे और आयोग द्वारा डाक से कोई प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जाएगा। वेब–साइट पर प्रवेश–पत्र जारी किए जाने की सूचना परीक्षा की तिथि तय होने के उपरान्त समाचार पत्रों एवं विभागीय वेबसाइट के माध्यम से जारी की जायेगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है। इस हेतु अभ्यर्थी आवेदन–पत्र क्रमांक एवं परीक्षा शुल्क की रसीद की प्रति ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई–मेल आई.डी. (e.mail ID) एवं मोबाइल नम्बर पर भी भेजी जा सकती है।

## (12) चयन प्रक्रिया–

अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा (Competitive Exam) लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।

## (13) परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम

यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Offline) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) के होंगे। परीक्षा योजना एवं विस्तृत पाठ्यक्रम सम्बन्धित विभागीय रिक्रूटमेंट पोर्टल http://lsg.onlinerecruit.in/ पर यथासमय जारी कर दिया जायेगा।

## (14) परीक्षा का माह एवं दिनांक :–

1. उक्त पदों के लिए वस्तुनिष्ठ (Offline) परीक्षाऐ पदवार संभवतः माह सितम्बर 2021 के द्वितीय सप्ताह की अवधि में आयोग द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्रो पर आयोजित की जायेगी। परीक्षा तिथि एवं समय की सूचना विभाग की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दी जावेगी। परीक्षा दिनांक एवं स्थान में परिर्वतन करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है।
2. उक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व परीक्षा का पाठ्यक्रम, स्कीम एवं परीक्षा में निर्धारित अंक एवं परीक्षा की अवधि पदवार विभाग की रिक्रूटमेंट पोर्टल http://lsg.onlinerecruit.in/ पर यथासमय उपलब्ध करा दिये जावेगे।

## (15 )पेंशनः–

नये भर्ती/नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार दिनांक 01.01.2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू है।

## (16 )विवाह पंजीयन :–

शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह –13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण–पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

## (17) अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में :–

सभी आवेदक चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित कर, स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा विभाग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नही किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है।

## (18) नियुक्ति के लिए अयोग्यता :–

(i) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक संतानों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके संतानों की संख्या में बढोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहॉं किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं, वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक

इकाई समझा जावेगा परन्तु यह भी कि किसी भी संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जावेगी।

(ii) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियाँ है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक की सरकार, इस बात का समाधान करने के पश्चात् ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट देय नही है।

(iii) कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यार्थी को छूट देय नहीं है।

(iv) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

## (19 )श्रुत लेखन की सुविधा :-

सामान्यतयाः सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होगे, केवल राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन (ठसपदक) सूर्यमुखी एवं अल्प दृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टिनिःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशक्त (जो वांह कटे होने या उंगलियां नहीं होन के कारण लिखने में असमर्थ है, को परीक्षा में श्रुतलेखन उपलब्ध कराये जायेंगे, परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्र सहित आयोग को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आंवटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण-पत्र की स्व प्रमाणित एक प्रति केन्द्राधीक्षक को भी दी जायेगी ।

## (20 )आवेदन कैसे करें :-

**आवेदक जिस श्रेणी के तहत् आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।**

**नोटः-** राजस्थान राज्य के अन्य पिछडा वर्ग/ अति पिछडा वर्ग की क्रीमिलेयर श्रेणी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग/ अति पिछडा वर्ग (क्रीमिलेयर एवं नॉन क्रीमिलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते है। अतः ऐसे आवेदक को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

**कृपया ध्यान दें :-**

1. अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & Email के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएँ प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
2. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभाग के विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देशों के साथ-साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्ते पूरी करता है एवं पद के संबंध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
4. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गयी सूचनाओं के आधार पर ही पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही दी जायेगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाएगा।
5. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थीगण का

Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अंतिम दिनांक पश्चात् वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जाएगा।

6. आवेदक जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई अन्तिम दिनांक तक आयोग को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional)रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रवेश–पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र मे की गयी प्रविष्टियॉं विभाग द्वारा सही मान ली गई है। आयोग द्वारा आवेदको की पात्रता संबंधी जॉच अलग से की जावेगी । अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ आयोग में प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की मूल प्रलेखों से जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या आयोग की अन्य किसी भी शर्त की पालना नही करने के कारण उसकी अपात्रता का पता चलता है तो, इसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होंगी।
7. संक्षिप्त विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा एवं विस्तृत विज्ञापन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगा, इसके अध्ययन के उपरान्त ही अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाईन आवेदन पत्र भरा जावे।
8. ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा। इसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् परीक्षा का मूल परिणाम जारी किये जाने से पूर्व जो आवेदक/आवेदिका विकलांग/विधवा/परित्यक्ता हुआ/हुई है, उन्हें विकलांग/विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ लेने हेतु उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपना वर्ग अनिवार्य रूप से परिवर्तन करवाना होगा अन्यथा उसे विकलांग/विधवा/परित्यक्ता श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। यदि परित्यक्ता (तलाकशुदा) आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता (तलाकशुदा) श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। साथ ही विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. (आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण–पत्र होनें पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।
10. आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।
11. **फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देश**
    1. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अस्पष्ट होने पर आवेदन स्वीकार नही किया जावेगा।
    2. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छः माह पुराना) अपलोड़ करना चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो मान्य नहीं होगा।
    3. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
    4. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
    5. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढ़का हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोडी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
    6. यदि आप चश्मा पहनते है, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते है लेकिन चश्में पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
    7. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
    8. फोटो जेपीजी/जेपीईजी/ (JPG/JPEG) प्रारूप में होना चाहिए।
    9. फाइल का आकार Maximum Size 50KB होना चाहिए।
    10. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

**हस्ताक्षर अपलोड़ करने के लिए दिशा–निर्देश**

1 आवेदक एक सफेद कागज (A4 Size) पर 7 सैमी उँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पैन से हस्ताक्षर करे।

2 हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नही होगा।

3 आयताकार बाक्स में हस्ताक्षर करने के बाद ईमेज कर स्केन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्राप करने के पश्चात अपलोड करें।

4 परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किए गए आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए, अन्यथा आवेदक को अयोग्य ठहराया जा सकता है।

5 केवल जेपीजी/जेपीईजी/ (JPG/JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।

6 हस्ताक्षर का आकार Maximum Size 30KB होना चाहिए।

7 मोबाईल फोन द्वारा लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नही किया जाएगा।

**विशेष टिप्पणी :–**

1. परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के संबंध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात 72 घंटे (तीन दिवस) के भीतर प्रश्न पत्र संबंधी आक्षेप विभाग की वेबसाइट http://lsg.onlinerecruit.in/ पर ऑन लाईन के माध्यम से प्रस्तुत करें। नियत समय के पश्चात परीक्षार्थी द्वारा आक्षेप प्रस्तुत नहीं किये जा सकेगें। आयोग द्वारा इस संबंध में कोई भी लिखित आक्षेप स्वीकार नहीं किये जायेगें।
2. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष / परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नही आए। परीक्षार्थी अपने साथ में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक पैन, पैन्सिल, प्रवेश–पत्र या विभाग द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकते है। यदि परीक्षार्थी परीक्षाकक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उसे जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केंद्राधीक्षक/संचालक व आयोग की नही होगी।
3. जिस परिसर में परीक्षा आयोजित की जा रही है वहां मोबाईल फोन, पैजर्स, ब्लुटुथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नही है इन अनुदेशो का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित आवेदक के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक लगाने, अनुशासनात्मक एवं आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।

## (21) प्रमाण–पत्रों का सत्यापन :–

**(मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन निम्नानुसार किया जावेगा)**

1 जाति प्रमाण–पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ होना चाहिऐ।

2 अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण–पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। अन्य पिछडा वर्ग/ अति पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण–पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक है।

3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण–पत्र पर विचार नही किया जाएगा।

4 राजस्थान राज्य के अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग के क्रीमिलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नही है, अतः ऐसे अभ्यर्थियों को On line Application Form पर सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा

5 अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग का नवीनतम प्रमाण–पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसा आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

6 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा।

7 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा।

**(22) अनुचित साधनों की रोकथाम :–**

परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्व आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित "Punishment for insolvent behaviour/ disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

**(23) आयोग की वेबसाईट :–**

आवेदक आयोग की वेबसाइट http://lsg.onlinerecruit.in/ उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण स्वायत्त शासन विभाग के परिसर में स्थित राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) व (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा चयन आयोग के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141–2226709 पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) व (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा चयन आयोग, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को संबोधित किया जाएगा।

**सचिव**
राजस्थान नगर पालिका
(प्रशासनिक एवं तकनीकी) एवं (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक)
सेवा चयन आयोग, जयपुर